आवश्यक /महत्वपूर्ण

कम्प्यूटर परिपत्र संख्या 0809022

पत्रसंख्या-फार्म अनु0 -(529)/2004-05/आ0 घो0 पत्र (फार्म -38)/ 42 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर ,वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश

(फार्म अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 19 मई,2008

विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर नियमावली 2008 के नियम -54 के उपनियम -3(a) में प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुऐ मैं कमिश्नर, वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश आयात हेतु घोषणा पत्र (फार्म -38) के सम्बन्ध में एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ व आदेश देता हूँ कि :-

1. इसमें बर्क लाईने हल्के कलर में बीच -बीच में कटी हुई फार्म के एक कोने से दूसरे कोने तक होरीजेन्टली चलती हैं तथा इन लाईनों के बीच में हल्के कलर में वाणिज्य कर विभाग उ0प्र0 लगातार मुद्रित किया गया है। फार्म -38 पर नई सीरीज -एए अंकित की गई है ,में निम्नलिखित विशेषताऐं है।

(क) फार्मो को वाटर मार्क मैपलिथो पेपर पर मुद्रित किया गया है। विभाग की सील गोलाकार खाने में जलांकित है।

(ख) फार्म दो प्रतियों (मूल व द्वितीय प्रति) में मुद्रित किया गया है।

(ग) मूल प्रति के दाहिने तरफ दिये गये बाक्स जिनकी संख्या -36 है उनके अंदर डार्क ग्रीन कलर में सिक्योरिटी ग्राऊन्ड के ऊपर काले रंग में अक्षर व स्टार तथा गिनती छापी गयी है।

(घ) फार्म में हल्के ग्रीन तथा पिंक कलर की पट्टी छापी गयी है।

(ड) फार्मो में हल्के पिंक कलर की पट्टी पर "वाणिज्य कर उ0प्र0" लगातार छापा गया है।

(च) फार्म के बीचो बीच उत्तर प्रदेश सरकार वाणिज्य कर विभाग की सील हल्के पिंक व डार्क कलर में छापी गयी है।

(छ) फार्म के सिक्योरिटी ग्राऊन्ड पर ब्लैक कलर में मैटर छापा गया है।

(ज) फार्म के पीछे ऑरेन्ज कलर में मैटर छपा है।

(झ) आयात हेतु घोषणा पत्र के द्वितीय प्रति के बायीं तरफ "स्टार तथा जो लागू न हो उसे काट दिया जाय (X) घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का फार्म से संबंध (अर्थात स्वामी /भागीदार / निदेशक, प्रबन्धक इत्यादि)निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।" छापा गया है।

2. इन फार्मो का प्रचलन औद्योगिक /ट्रेडर्स के उपयोगार्थ दिनांक -19-05-2008 से वैध होगा।

3. सीरीज संख्या एए -2008 के आयात हेतु घोषणा पत्रों का दिनांक-19-05-2008 से प्रचलन के बावजूद कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा सीरीज संख्या एफ/क्यूक्यू -2006 तथा एफ/आरआर -2006 के आयात के लिए घोषणा पत्रों जिनका उपयोग ट्रेडर्स /औद्योगिक इकाईयों के उपयोगार्थ कराने हेतु मुख्यालय से निर्देश जारी किये गये हैं , पहले वितरित किये जायेगें तथा उनके समाप्त होने के बाद ही कर निर्धारण अधिकारी नई सीरीज के आयात के लिए घोषणा पत्रों का वितरण व्यापारियों को करेगें।

4. सीरीज संख्या -एफ/क्यूक्यू -2006तथा एफ/आरआर -2006 के ट्रेडर्स /औद्योगिक इकाईयों के उपयोगार्थ आयात हेतु घोषणा पत्र कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा अग्रिम आदेशों तक पूर्ववत प्रचालित रहेंगें।

ह0/-

(दीपक कुमार)

कमिश्नर,वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश।

पृ0 पत्र संख्या व दिनांक उक्त :-

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अधीक्षक ,मुद्रण एवं लेखन सामग्री इलाहाबाद को दो प्रतियों में इस आशय से कि कृपया इसे उत्तर प्रदेश गजट (साधारण) के आगामी अंक में प्रकाशित कराने का कष्ट करें ।

2. अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण ,उत्तर प्रदेश ।

3. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि दिनांक 26-5-08 को आने वाले विशेष वाहक के माध्यम से मुख्यालय को यह अवगत कराना सुनिश्चित करें कि दिनांक 2/5/08 तक सीरीज संख्या एफ/क्यूक्यू-2006 तथा एफ/आरआर -2006 के कितने आयात के लिए घोषणा पत्र (ट्रेडर्स /औघोगिक इकाई हेतु) संभागों /खण्डों /मण्डलों/उपमण्डलों की सूचना शामिल करके बच गये हैं, जो व्यापारियों को अभी वितरित नहीं हुए हैं । साथ हीं यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि नई सीरीज एए -2008 के आयात हेतु घोषणा पत्रों का वितरण करने से पूर्व सीरीज संख्या एफ/क्यूक्यू-2006 तथा एफ/आआर -2006 आयात के लिए घोषणा पत्र (ट्रेडर्स /औघोगिक इकाई के उपयोगार्थ) व्यापारियों को पूर्ववत अग्रिम आदेशों तक वितरित किये जायेगें ।

4. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील/वि0अनु0शा0/प्र0) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।

5. समस्त डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण)असिस्टेन्ट कमिश्नर /वाणिज्य कर अधिकारी /खण्ड / मण्डल/उपमण्डल उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ की व्यापारियों को नई सीरीज के आयात हेतु घोषणा पत्र जारी करते समय मुख्यालय के परिपत्र संख्या फार्म -31-91/92-फार्म 32/मुद्रण /865/वि0क0दि0 2/11/91 का अनुपालन सुनिश्चित करें ।

6. समस्त डिप्टी कमिश्नर (प्रवर्तन/स0के0/राज0प्रति0/उ0न्याय0कार्य0/सर्वोच्य न्या0कार्य0/निबन्धक वाणिज्य कर अधिकरण)वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।

7. समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर ,वाणिज्य कर, वाणिज्य कर अधिकारी ,सहायता केन्द्र /सचल दल /वि0अनु0शा0/प्र0/संग्रह/राज्य0प्रतिनिधि/उच्च न्यायालय कार्य/ सर्वोच्य न्यायालय कार्य /वैयक्तिक सहायक, उत्तर प्रदेश ।

8. संयुक्त सचिव ,उत्तर प्रदेश शासन (वित्त)वाणिज्य कर अनुभाग -2,सचिवालय लखनऊ को चार -प्रतियॉं ।

9. समस्त परिक्षेत्रीय आन्तरिक सम्परीक्षा दल ,उत्तर प्रदेश ।

10. महालेखाकार ,उत्तर प्रदेश 17-ए अशोक नगर ,इलाहाबाद ।

11. संयुक्त निदेशक ,प्रशिक्षण संस्थान गोमती नगर लखनऊ (छः प्रतियों में)।

12. मुख्यालय के समस्त अनुभाग अधिकारी ।

13. मैनुअल /विधि /नई इकाई /वैट अनुभाग को पॉच -पॉच प्रतियॉं ।

14. वाणिज्य कर (जन संपर्क अधिकारी/जनसूचना)मुख्यालय को 10 अतिरिक्त प्रतियॉं ।

15. आयात हेतु घोषणा पत्र अनुभाग हेतु 50 अतिरिक्त प्रतियॉं ।

16 समस्त चैम्बर ऑफ कामर्स /प्रमुख व्यापारी संघ /व्यापारी अधिवक्ता संघ उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि वे इस विज्ञप्ति की सूचना अपने समस्त सदस्यों को देने का कष्ट करें ।

17. ऑल इंडिया मोटर्स ट्रासपोर्ट कांग्रेस ,16-ए ऑफिस अली रोड नई दिल्ली ।

18. श्री मनीष शर्मा , ला एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस ,आर0 -15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।

19. श्रीमती इन्दु मिश्रा , इन्दु पब्लिकेशनस, RDC-51 राजनगर, गाजियाबाद ।

20- सूचना केन्द्र अनुभाग मुख्यालय को 10 अतिरिक्त प्रतियॉं ।

21- पी0एस0 जैन अधिवक्ता सदस्य ,उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय वाणिज्य कर सलाहकार समिति ए -138 ए सेक्टर -27 नोएडा ।

(बी0 एन0 मिश्र)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (फार्म)वाणिज्य कर ,
मुख्यालय,लखनऊ ।